



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 6769/2023

भालचंद्र श्रीपद विरकर, कंपनी सचिव एवं उपाध्यक्ष, मुंबई

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ एवं एक अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – वीणा विजयन राजेस, ईशान बघेल

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या – 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. यह प्रार्थनापत्र परिवाद मामला संख्या 3252 वर्ष 2018, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, अंतर्गत धारा 43 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की संपूर्ण कार्यवाही और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण), लखनऊ द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 01.04.2022 को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि वर्ष 1985 में, मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (एतादृशवात् "कंपनी" के रूप में संदर्भित) को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया था और वह खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न थी। वर्ष 2004 में, कंपनी ने गाजियाबाद में अपना विनिर्माण संयंत्र प्रारंभ किया और प्रार्थी वर्ष 2016 में कंपनी सचिव और सहायक उपाध्यक्ष (विधिक) के रूप में कंपनी में नियुक्त हुए। इसके बाद, प्रार्थी को कंपनी सचिव के रूप में उसके दायित्व के अतिरिक्त उपाध्यक्ष (विधिक) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

3. यह कहा गया है कि दिनांक 05.11.2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल प्रार्थनापत्र संख्या 231 वर्ष 2014 में गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में औद्योगिक कचरे के निर्वहन और भूजल तथा सार्वजनिक

स्वास्थ्य पर ऐसे निर्वहन के प्रभाव की जांच करने के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। दिनांक 16.01.2018 को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल प्रार्थनापत्र संख्या 66 वर्ष 2015 में एक और आदेश पारित किया गया, जिसमें समिति को ऊपर चिह्नित जिलों में हिंडन नदी और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में सभी उद्योगों का गहन सर्वेक्षण करने और सतह तथा भूजल के नमूने एकत्र करने और दो महीने के भीतर उनका विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि कंपनी न तो इसमें पक्षकार थी और न ही उसे आदेशों की जानकारी दी गई थी। आगे यह कहा गया है कि दिनांक 12.04.2018 को, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1974") की धारा 21(3)(क) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक नोटिस दिए बिना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अंतर्गत गठित समिति होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने कंपनी के परिसर का दौरा किया और अपशिष्ट उपचार संयंत्र से जल का एक नमूना और भूजल के दो नमूने एकत्र किए और कुछ दस्तावेजों की भी मांग की। दिनांक 03.08.2018 को, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को 50,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का नोटिस भेजा और गाजियाबाद स्थित विनिर्माण इकाई को बंद करने का भी आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप इकाई को दिनांक 14.08.2018 को बंद कर दिया गया।

4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 08.08.2018 को मूल प्रार्थनापत्र संख्या 232 वर्ष 2014 और 66 वर्ष 2015 में एक विस्तृत निर्णय और आदेश पारित किया और निर्णय के प्रस्तर-9 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस कथन को स्वीकृति दी कि वह अब उन सभी के विरुद्ध उस दिनांक से छह सप्ताह के अंतर्गत तत्काल अभियोजन प्रारंभ करेगा जो निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी पाए जाएंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वोक्त अनुमोदन के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 20.11.2018 को कंपनी और प्रार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की, जिसमें प्रार्थी को गलत तरीके से कारखाने के 'अधिभोगी' के रूप में नामित किया गया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और प्रार्थी को सम्मन जारी किया, जो कि विचाराधीन है।

5. प्रार्थी के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई.बी. सिंह, जिनके सहयोगी श्री ईशान बघेल और दीपेश सिंह हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को परिवाद में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि उसने उत्तर

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ हुए कुछ पत्राचारों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रार्थी उपाध्यक्ष (विधिक) और कंपनी सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वह अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है और न ही पूरी शिकायत में ऐसा कोई कथन है कि प्रार्थी कारखाने के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के प्रभारी थे और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवार में प्रार्थी को कंपनी के 'अधिभोगी' के रूप में नामित किया गया था, जबकि वह कंपनी के कंपनी सचिव और उपाध्यक्ष (विधिक) हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2018 के विरुद्ध ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील डायरी संख्या 34619 वर्ष 2018 दायर की गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.10.2018 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.08.2018 के प्रस्तर-9 पर रोक लगा दी थी। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त **सिविल अपील संख्या 10236-10237 वर्ष 2018, ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.11.2025 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल प्रार्थनापत्र संख्या 231 वर्ष 2014 (एम.ए. संख्या 1219 वर्ष 2018) और मूल प्रार्थनापत्र संख्या 66 वर्ष 2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2018 को रद्द कर दिया गया है। पूर्वोक्त निर्णय और आदेश का कियाशील भाग अधोउद्धृत है:-

"2. स्टेटस रिपोर्ट में इंगित निष्कर्षों के दृष्टिगत हमारी राय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हुआ है और यह वर्तमान और अतीत के सभी अनुपालनों का उत्तर देता है।

3. उपरोक्त के आलोक में, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल प्रार्थनापत्र संख्या 231 वर्ष 2014 (एम.ए. संख्या 1219/2018) और मूल प्रार्थनापत्र संख्या 66 वर्ष 2015 में दिनांक 08.08.2018 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं।

4. हम स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता उद्योग चलाने से संबंधित संपूर्ण नियामक व्यवस्था का अनुपालन करना जारी रखेगा। जिसमें वर्तमान 'संचालन हेतु सहमति' के अनुसार शर्तें सम्मिलित होंगी।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उपरोक्त के आलोक में, प्रार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त सिविल अपील (उपरोक्त) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.11.2025 से पूर्ण रूप से आच्छादित है क्योंकि वर्तमान कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2018 के अनुसरण में प्रारंभ की गई थी।

8. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा ने मामले का विरोध किया है, लेकिन इस विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 07.11.2025 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2018 को रद्द कर दिया है।

9. चूंकि प्रार्थी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त सिविल अपील (उपरोक्त) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.11.2025 से पूर्ण रूप से आच्छादित है, इसलिए प्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती और यह रद्द किये जाने योग्य है।

10. तदनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और परिवाद मामला संख्या 3252 वर्ष 2018, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण), लखनऊ द्वारा पारित सम्मन आदेश दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थी के संबंध में एतद्वारा रद्द किया जाता है

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

24 मार्च, 2026

राव